न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

03.07.2025 प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र टोपनदास जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में राज्य सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थी को बिना नोटिस दिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थी को 60 दिवस पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने की बाध्यता से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:25:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

03/07/25